|

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक २०१६ /2257/2020/ई/चार, **भोपाल,दिनांक ०९ /12/2020**

प्रति,

1. **शासन के समस्त विभाग,**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष,,**
3. **समस्त संभागायुक्त,**
4. **समस्त जिलाध्यक्ष,**
5. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ,**
6. **समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश,**

विषय:-विलम्ब से टी.डी.एस. जमा होने के कारण उत्पन्न देयताओं के भुगतान के संबंध में।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर टी.डी.एस. रिटर्न आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जमा किए जाने के प्रावधान हैं।

विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि कई विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि में टी.डी.एस. रिटर्न जमा नहीं करते हैं। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 E के अनुसार प्रतिदिन रूपये 200/- की दर से विलम्ब शुल्क राशि निर्धारित कर राशि जमा करने हेतु आयकर विभाग द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए ऐसे नोटिस के पालन में कतिपय अधिकारी शासन से प्राप्त बजट से राशि आहरित कर भुगतान करते हैं, जबकि कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से राशि जमा की जाती है।

आयकर अधिनियम अनुसार आयकर रिटर्न समय से प्रस्तुत करना विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व है। अत: निर्णय लिया गया है कि समय पर रिटर्न जमा न किए जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी द्वारा ही विलम्ब शुल्क जमा कराया जाए, परंतु ऐसे प्रकरणों में जहां आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल नहीं है और उसके विरूद्ध अपील आदि की जानी है , से संबंधित व्यय सक्षम स्वीकृति उपरांत विभागीय बजट से किए जा सकते हैं।

9.12.2020

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 2017 /2257/2020/ई/चार, **भोपाल,दिनांक 09 /12/2020**

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. विशेष सहायक माननीय वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल,
4. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
5. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
8. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल,
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश,
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग